



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०, पी०एम०जी०एस०वाई० पिथौरागढ़

फोन / फैक्स नं० 05964-226685

ई-मेल:- eepmgsypithoragarh1@rediffmail.com

पत्रांक 416 / 03 पी०एम०जी०एस०वाई०

दि० 07-06-2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,
पिथौरागढ़।

विषय :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ में डीडीहाट (देवीछौना) से जमतड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 8.1123 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मो०मा० के संबंध में अवगत कराना है कि आपके पत्रांक संख्या-5777/12-1 दिनांक 25.03.2023 के अनुपालन में संशोधित एन०पी०बी० की धनराशि कैम्पा कोष में जमा करा दी गई है एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक-8बी/यू०सी०पी०/06/12/2015/एफ०सी०/1188 दिनांक 29.08.2019 के क्रम में वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर लगाई गई आपत्तियों का निराकरण प्रश्न-उत्तर कॉलम में इस कार्यालय के पत्रांक-863/03 पी०एम०जी०एस०वाई० दिनांक 24.11.2022 द्वारा पूर्व में प्रेषित किया गया था। जिसकी छायाप्रति पुनः तीन प्रतियों में संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त मोटर मार्ग में अग्रिम-आवश्यक कार्यवाही कर विधिवत् स्वीकृति दिलाने की कृपा करें।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

प्रति 07/06/23
अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड

01c

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०,
पिथौरागढ़।

प्रतिनिधि- श्री संजय कुमार सहायक कमि./ श्री मनोज सिंह खाली AAE को सूचना एवं अग्रिम कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु प्रेषित।

07/6/23

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax& 05964-225234

पत्रांक:-

/12-1

दिनांक, पिथौरागढ़, 13- नवम्बर, 2022।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोडा।

विषय :-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ में डीडिहाट (देवीछौना) से जमतड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 8.1123 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक-8बी/यू०सी०पी०/०६/११२/२०१५/एफ०सी०/११८८ दिनांक २९.०८.२०१९ व प्रस्तावक विभाग का पत्रांक ८६३/०३ पी०एम०जी०एस०वाई० दिनांक २४.११.२०२२।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में अवगत कराना है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक-८बी/यू०सी०पी०/०६/१२/२०१५/एफ०सी०/११८८ दिनांक २९.०८.२०१९ के क्रम में वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर लगाई गई आपत्तियों का निराकरण प्रश्न-उत्तर कॉलम में निम्नानुसार प्रेषित है-

01	प्रश्न	उत्तर
1	प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति ग्राम जमतड़ी CA Area पर दी गई थी परन्तु mutation document ग्राम पमस्यारी की प्रस्तुत की गई है। यदि CA area change किया गया है तो उसका विस्तृत कारण तथा समस्त revised document जैसे कि KML file, digital map, Sol toposheet, CA site suitability तथा ownership proof इत्यादि जमा कराएं।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं० ०१ के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण जमतड़ी सिविल सोयम भूमि पर होना प्रस्तावित था, परन्तु क्षतिपूरक हेतु उपयुक्त वृक्षारोपण स्थल जमतड़ी सिविल सोयम में उपलब्ध नहीं हो पाया, तत्पश्चात् राजस्व विभाग से विचार विमर्श करने के उपरान्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त ग्राम पमस्यारी में चयनित किया गया। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल ग्राम पमस्यारी के revised document जैसे KML file, digital map, SOI toposheet, CA scheme & CA site suitability तथा ownership proof इत्यादि संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं।
2	राज्य सरकार रुपये 3736557.00 की संशोधित 10 वर्षीय वृक्षारोपण योजना जिसके आधार पर कैम्पा कोष में धनराशि जमा की गई है, की मूल प्रति इस कार्यालय में प्रेषित करें।	कैम्पा कोष में जमा की गई की धनराशि रुपये 3736557.00 मात्र की संशोधित 10 वर्षीय वृक्षारोपण योजना की मूल प्रति पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है एवं छायाप्रति पुनः संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़, वन प्रभाग पिथौरागढ़।

संख्या:- 3697 /12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़, वन प्रभाग पिथौरागढ़।

- 1- योजना का नाम- प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत तक कि 0मी0 प्रस्तावित
 1-पौधारोपण स्थल का नाम- ग्राम पंचसंगरी (देवागिरिया) है0 कुल रोपण - है0
 2-रोपित किये जान वाले पौधों की सं0-1100 पौध प्रति है0।
 3-रोपित किये जाने वाली पौधों की प्रजाति-बाज,फल्यांट,तेजपात,हरड आदि

क्र.सं.	कार्य विवरण	मात्रा	ईकाई	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
	प्रथम वर्ष (अग्रिम मृदा कार्य)				
1	सर्वे व सीमांकन	1	है0	147	147.00
2	पौधों का मूल्य (प्रथम वर्ष)	2000	पौध	8.7	17400.00
3	स्थल सफाई कार्य / लैन्टाना झाड़ी कटान कार्य	1	है0	8581	8581.00
4	घेरबाड कार्य (84 घ0मी0 प्रति है0)	84	घमी0	478	40152.00
5	गडडा खुदान कार्य (0.30x0.30x0.45)	2000	गडडे	11.14	22280.00
6	निरिक्षण बटिया निर्माण कार्य	1	है0	737	737.00
7	अन्य व्यय	1	है0	400	400.00
	योग प्रथम वर्ष-:				89697.00
	योग-:			SAY	89600.00
	द्वितीय वर्ष (वृक्षारोपण कार्य)				
1	पौधों का मूल्य (द्वितीय वर्ष)	2000	पौध	1.75	3500.00
2	गडडा भरान कार्य	2000	गडडे	1.75	3500.00
3	पौध डुलान कार्य सिरबोझ व वाहन द्वारा	2000	पौध	9.7	19400.00
4	पौध रोपण व थावलाबन्दी	2000	पौध	3.13	6260.00
5	निराई गुराई प्रथम बार	2000	पौध	1.15	2300.00
6	निराई गुराई द्वितीय बार	2000	पौध	1.15	2300.00
7	रासायनिक दवा व मल्लिंग	2000	पौध	0.32	640.00
8	अनुरक्षण कार्य 8 माह का	1	है0	7235	7235.00
9	वृक्षारोपण के अन्दर ज्वलनशीन पदार्थ को हटाना	1	है0	350	350.00
10	अन्य व्यय	1	है0	700	700.00
	योग- द्वितीय वर्ष				46185.00
	योग-:			SAY	46102.00
	रोपण के बाद प्रथम वर्ष				
1	12 माह का अनुरक्षण कार्य	1	है0	10852	9460.00
	योग- रोपण के प्रथम वर्ष का				9460.00
	योग-:			SAY	9460.00
	रोपण के बाद द्वितीय वर्ष				
1	12 माह का अनुरक्षण कार्य	1	है0	9460	9460.00
	योग- रोपण के द्वितीय वर्ष का				9460.00
	योग-:			SAY	9460.00

TL

A-E

वन क्षेत्राधिकारी
अस्कोट

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत दैवीछौना-जमतड़ी मोटर मार्ग के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम पमस्यारी उपयुक्त स्थल है एवं उक्त स्थल में 1100 पौधे प्रति हे० की दर से रोपित किये जा सकते हैं,

5.6

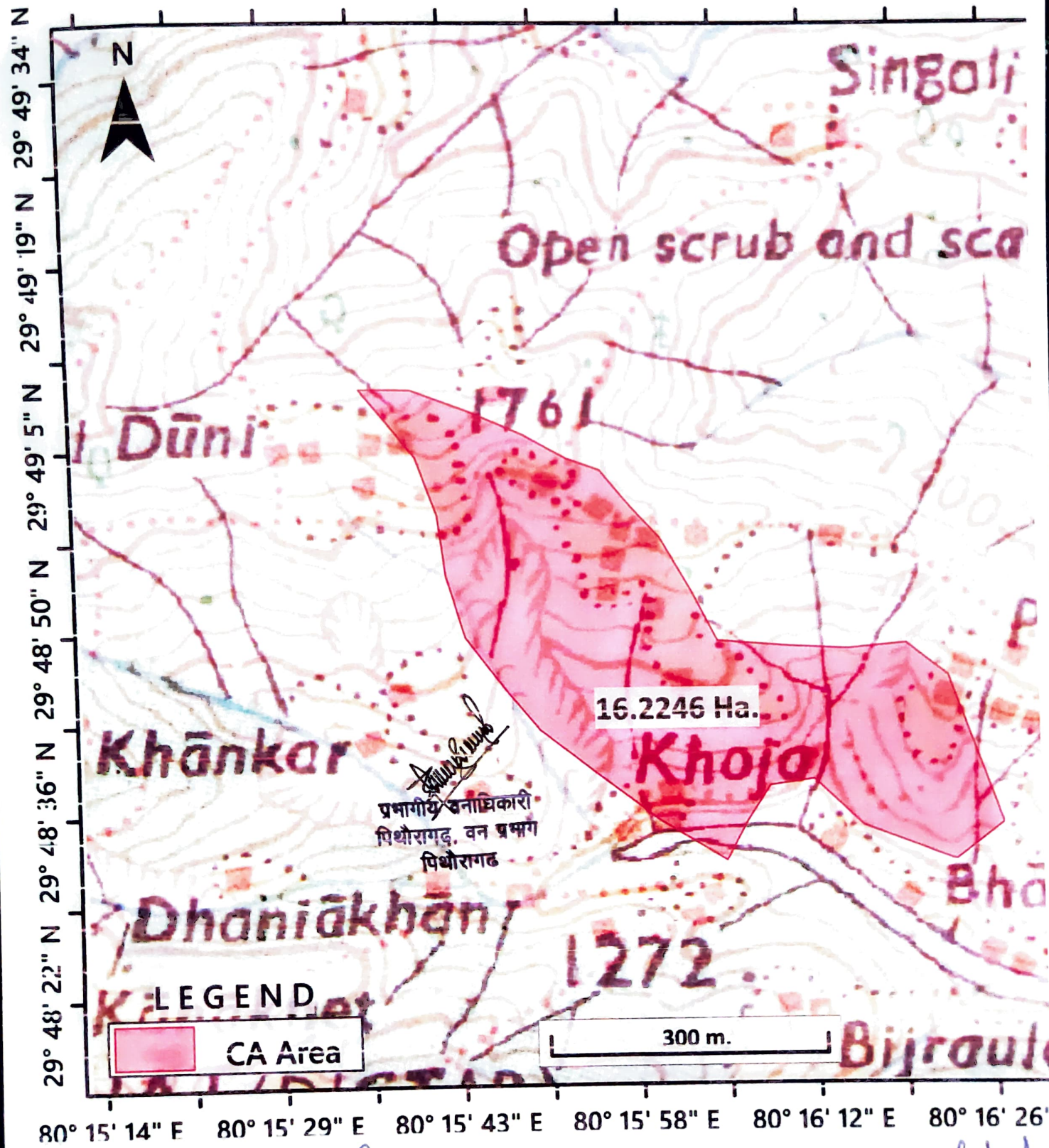
वन क्षेत्राधिकारी
अस्कोट

सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड लो०नि०वि०
पिथौरागढ़

अधिसासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०
पिथौरागढ़

प्रभागिक वनाधिकारी
पिथौरागढ़, वन प्रभाग
पिथौरागढ़

योजना का नाम - प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत
 'डीडीहाट (देवीहीना)' से जमतडी मोटर मार्ग निर्माण हेतु
 क्षतिपूर्क वृक्षारोपण स्थल का
 50:1 toposheet



प्रभागीय वनाधिकारी
 पिथौरागढ़, वन प्रभाग
 पिथौरागढ़

LEGEND
 CA Area

300 m.

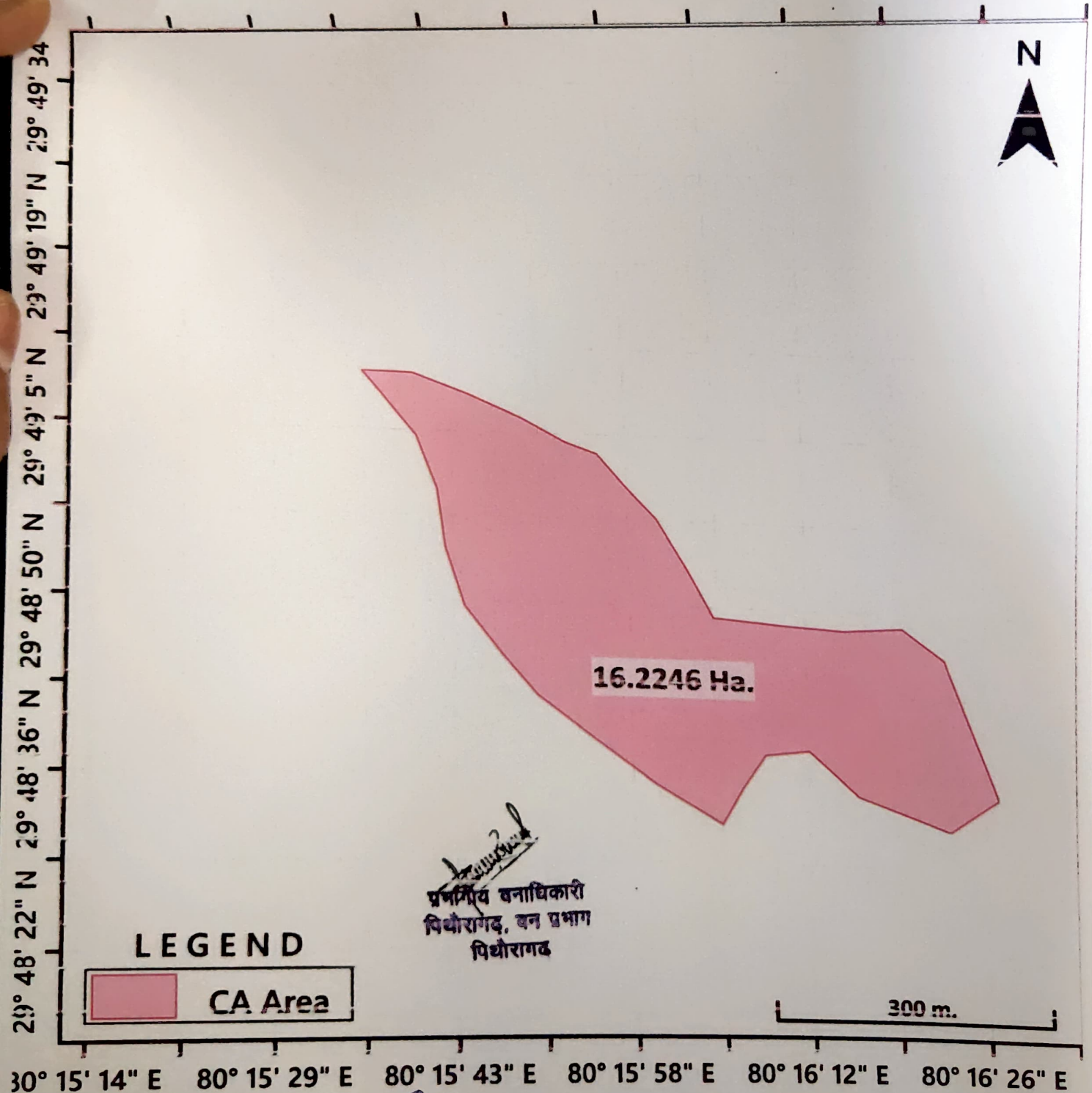
3-6
 वन क्षेत्राधिकारी
 पिथौरागढ़

सहायक अभियन्ता
 सिविल, खण्ड लोअर पिथौरागढ़

अभियन्ता अभियन्ता
 सिविल, खण्ड लोअर पिथौरागढ़

अभियन्ता
 सिविल

योजना का नाम - प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत
 'डीडीहाट (देवीघोना)' से जमतडी मोटर मार्ग निर्माण हे
 मतिपुरक ब्रह्मारीपठा स्थल का
 Digital Map

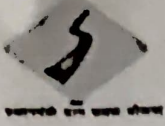


SB
 वन क्षेत्राधिकारी

राज्यक अधिकारी
 सिवाई राज्य के अधिकारी
 पिथौरागढ़

अतिरिक्त अधिकारी
 सिवाई राज्य के अधिकारी
 पिथौरागढ़

राज्य अधिकारी
 के. डेवकीर्ण
 सिवाई राज्य के अधिकारी



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०, पी०एम०जी०एस०वाई० पिथौरागढ़

फोन / फैक्स नं० 05964-226685

ई-मेल:- eepmgsypithoragarh1@rediffmail.com

पत्रांक 366 / 03 पी०एम०जी०एस०वाई०

दि० 26-05-2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,
पिथौरागढ़।

विषय :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ में डीडिहाट (देवीछौना) से जमतड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 8.1123 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- आपका पत्रांक -5777/12-1 दिनांक 25 मार्च 2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि आपके द्वारा उक्त मोटर मार्ग में एन०पी०वी० की संशोधित दरों के अनुसार शेष धनराशि रु. 3000363.00(रुपये तीस लाख तीन सौ तिरसठ) जमा करने हेतु डिमाण्ड नोट प्रेषित किया गया था, जिसके अनुपालन में उक्त धनराशि कैम्पा कोष में जमा करा दी गई है एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक-8बी/यू०सी०पी०/06/12/2015/एफ०सी०/1188 दिनांक 29.08.2019 के क्रम में वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कर प्रश्न-उत्तर कॉलम में इस कार्यालय के पत्रांक 863/03 पी०एम०जी०एस०वाई० दिनांक 24.11.2022 द्वारा पूर्व में प्रेषित कर दिया गया है।(प्रतिलिपि संलग्न)

अतः उक्त के संबंध में आपसे अनुरोध है कि उक्त मोटर मार्ग में विधिवत् स्वीकृति हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

ABZ-95
अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०,
पिथौरागढ़।

प्रतिलिपि:- सम्बन्धित सहायक अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि० पिथौरागढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०,
पिथौरागढ़।